जनपद वाराणसी में घाटों एवं कुण्डों हेतु 13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत विशिष्ट सहायता अनुदान के उपयोग की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण।

---

1. श्री सी0बी0 पालीवाल, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्री एस0पी0 सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. श्री रवीन्द्र नाथ सिंह, उप सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री प्रांजल यादव, जिलाधिकारी, वाराणसी।
5. श्री सहदेव, अपर आयुक्त (प्र.) वाराणसी।

13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वाराणसी शहर के घाटों एवं कुण्डों के विकास कार्य के लिये रू0 11.25 करोड की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2012-13 में निर्गत की गयी थी, जिसमें से सारंग कुण्ड के विकास हेतु रू0 4.00 करोड के कार्य कराये जाने हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी तथा दशाश्वमेघ घाट के विकास कार्य हेतु रू0 7.25 करोड सी.एण्ड डी.एस. जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। शहर में सारंग कुण्ड के विकास हेतु रू0 4.00 करोड की स्वीकृति के सापेक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा अभी तक रू0 42.82 लाख का ही व्यय किया गया है तथा घाटों के विकास हेतु सी.एण्ड डी.एस. जल निगम को स्वीकृत रू0 07.25 करोड की धनराशि के सापेक्ष रू0 251.81 लाख का व्यय किया गया है। सांरग कुण्ड की भूमि का स्वामित्व विवाद होने तथा कराये गये कार्यो की शिकायत होने पर जिलाधिकारी द्वारा कार्य रूकवा दिया गया। सारंग कुण्ड के भूमि स्वामित्व विवाद तथा पुन: आमंत्रित की गयी निविदा के सम्बंध में विचार विमर्श हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में निम्नवत् मत स्थिर किया गया:-

1. सारंग कुण्ड भूमि स्वामित्व के विवाद के सम्बंध में जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण का विस्तार से अभिलेखीय परीक्षण कराते हुए यह अध्ययन करा लिया जाय कि उक्त स्थल पुराने रिकार्ड में तलाब व भीटा दर्ज है अथवा नहीं उक्त स्थल के स्वामित्व के सम्बंध में जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट नगर विकास विभाग को एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जायेगी।
2. सारंग कुण्ड परियोजना हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी को अवमुक्त धनराशि रू0 4.00 करोड के सापेक्ष व्यय किये गये रू0 42.82 लाख के कार्यो का परीक्षण करते हुए विस्तृत रिपोर्ट/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

http://srasanadesh.up.nic.in/

3; सारंग कुण्ड परियोजना हेतु पुन: आमंत्रित की गयी निविदा के सम्बंध में अग्रतर कार्यवाही किये जाने के पूर्व उक्त परियोजना को पुनरीक्षित किये जाने का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव/आगणन शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय ताकि उक्त परियोजना के पुनरीक्षण के सम्बंध में अग्रतर कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी वाराणसी/नगर विकास अनुभाग-9)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

ह0/-
सी0बी0पालीवाल,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास विभाग अनुभाग-9
संख्या-6/1968/नौ.-9-2013-101ज/09टीसी-11
लखनऊ: दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, वाराणसी।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(श्रवण कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/